7757 - किसी युवा के लिए अपनी मँगेतर के साथ एकांत में होना जायज़ नहीं है

प्रश्न

क्या एक मुस्लिम युवा के लिए शादी से पहले किसी लड़की के साथ डेट पर बाहर जाना जायज़ है? यदि वे ऐसा करते हैं, तो उनके इस कार्य का क्या परिणाम होगा? शादी से पहले एक पुरुष और एक महिला के बाहर निकलने के बारे में इस्लाम क्या कहता है?

विस्तृत उत्तर

हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाह तआला के लिए योग्य है।.

पुरुष के लिए एक ऐसी महिला के साथ एकांत में होना जायज़ (स्वीकार्य) नहीं है, जो उसके लिए हलाल नहीं है। क्योंकि यह अनैतिक और बुरे कार्यों में पड़ने का कारण है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया : "जो भी पुरुष किसी (ग़ैर-महरम) औरत के साथ एकांत में (अकेला) होता है, तो उन दोनों के साथ तीसरा शैतान होता है।"

यदि वह शादी करने का पक्का इरादा रखने की स्थिति में, उसे देखने के लिए ऐसा करना चाहता है, और वह उसके साथ एकांत में (अकेला) नहीं होता है, इस प्रकार कि उसके साथ उसका पिता, या उसका भाई, या उसकी माँ आदि उपस्थिति हों, तथा वह उसके शरीर के उन्हीं भागों को देखे, जो अक्सर दिखाई देते हैं, जैसे चेहरा, बाल, हथेलियाँ और पैर, तो यह सुन्नत की अपेक्षा है, लेकिन इस शर्त के साथ कि फितना (प्रलोभन) का डर न हो।